डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

डॉ. उतसव आनन्द (प्रभारी)
अनु0जाति/अनु0जनजाति एवं अन्य
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

icscstobccell@gmail.com
www.dhsgsu.ac.in
(Ph.) 07582-297105
SAGAR-470003 (M.P.) INDIA

क्रमांकःएससीएसटी सेल/05/25–26/283 सागर, दिनांक 23.01.2026

//सूचना //

सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला–सागर के पत्र क्रमांकः पीएमएस/आ0वि0/2025–26/1840 दिनांक 16.01.2026 द्वारा SC+ST आवास सहायता के आवेदनों में दस्तावेजों के संबंध में Zoom Meeting बैठक दिनांक 17.01.2026 में दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय की सूचना क्रमांकःएससीएसटी सेल/05/25–26/278 सागर, दिनांक 19.01.2026 द्वारा संबंधित छात्र–छात्राओं को सूचित किया गया है ।

लेख है अनुसूचित जाति तथा जनजाति बालक/बालिका आवास सहायता योजना नवीन नियम 2016 एवं कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक /शिक्षा–1/2017–18/12666 दिनांक 21.02.2018 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के संबंध में मार्गदर्शन तथा कार्यालय, आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के आवास सहायता योजना संचालन हेतु निर्देश के परिपालन में जिन छात्र–छात्राओं के आवास सहायता आवेदन नियमानुसार नहीं भरे गये है ऐसे आवेदन जांच उपरांत **Sent for clarification** में भेजे गये हैं ।

अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्र–छात्राऍ एमपीटास पोर्टल में अपना आवास सहायता आवेदन स्टेटस चेक करें एवं नियमानुसार clarification स्पष्ट कर आवास आवेदन की हार्डकापी अनु0जाति/अनु0जनजाति प्रकोष्ठ में शीध्र जमा करें जिससे छात्रों के आवेदन वेरिफाई किये जा सकें । पुनः लेख है कि जिस दिनांक में छात्र–छात्राओं द्वारा किरायानामा नोटरी कराया है उसी तिथि से ही आवास सहायता की राशि का भुगतान किया जायेगा । अतः नोटरी दिनांक से ही आवास सहायता आवेदन में किराया प्रारंभ की तिथि अंकित करें ।

1. **अनुसूचित जाति वर्ग (SC)** के विद्यार्थियों को मकान मालिक के साथ **किरायानामा रूपये 100/– के ई–स्टॉम्प पेपर पर ही मान्य रहेगा जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा** एवं मकान मालिक का कोई भी एक पहचान पत्र भी अपलोड करें । किराये की गणना संस्था में प्रवेश लेने की तिथि/किराये से भवन लेने की तिथि (जो भी बाद में हो) से की जायेगी । **नोटरी दिनांक से ही आवास सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा ।**

2. **अनुसूचित जनजाति वर्ग (ST)** के विद्यार्थियों को किरायानामा मकान मालिक एवं किरायेदार (विद्यार्थी) के बीच द्विपक्षीय स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र के रूप में लिया जाएगा जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाये साथ ही मकान मालिक का पहचान पत्र आधार कार्ड आदि की प्रति भी अपलोड करें ।

23.1.2020

(डॉ0उतसव आनंद)
प्रोफेसर इंचार्ज एवं नोडल अधिकारी
अनु0जाति/अनु0जनजाति प्रकोष्ठ

क्रमशः 2/–

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

डॉ. उतसव आनन्द (प्रभारी)
अनु0जाति/अनु0जनजाति एवं अन्य
पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

icscstobccell@gmail.com
www.dhsgsu.ac.in
(Ph.) 07582-297105
SAGAR-470003 (M.P.) INDIA

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष– निवेदन है कि आपके संकाय/विभाग में अध्ययनरत संबंधित विद्यार्थियों को उक्त संबंध में सूचित करने का कष्ट करें ।
2. समस्त संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा– संबंधित विद्यार्थियों के सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (कार्यालय कलेक्टर) जिला–सागर (म0प्र0)–सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कुलसचिवजी के निज सहायक – सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेवसाईट सेल–कृप्या विश्वविद्यालय की वेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

23.1.2026

(डॉ0उतसव आनंद)
प्रोफेसर इंचार्ज एवं नोडल अधिकारी
अनु0जाति/अनु0जनजाति प्रकोष्ठ